न्यायालय विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, भदोही।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 1200 सन् 2022

सी.एन.आर.नं.यू.पी.एस.नं.01–002372–2022

आशादेवी पत्नी बाबूलाल निवासी रजपूरा , हरिजन बस्ती, थाना भदोही, जिला भदोही। ....प्रार्थिनी/अभियुक्ता।

बनाम

उ0प्र0 राज्य ....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या 435 सन् 2020
धारा 135 भारतीय बिद्युत अधि0
थाना भदोही, जिला भदोही।

आदेश

प्रार्थिनी/अभियुक्ता आशादेवी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना –पत्र पर सुना।

प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विरूद्ध लम्बित आपराधिक प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्ता पर यह अभियोग है कि वह बिना वैध विद्युत संयोजन के केबिल से लाइन जोड़कर विद्युत उर्जा का उपभोग करते हुये वादी मुकदमा प्रमोद चौहान, अवर अभियन्ता एवं अन्य लाइन स्टाफ के द्वारा पाया गया। अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध शमनीय है तथा अधिकतम तीन वर्ष के कारावास से दण्डनीय है।

अतः अभियुक्ता के अपराध की प्रकृति को देखते हुये जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्ता आशा देवी के द्वारा मु 0 20,000/–रूपये की व्यक्तिगत बंधपत्र व उतने ही धनराशि की दो प्रतिभू निष्पादित करने पर अभियुक्ता को निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाय कि–

1. प्रार्थिनी/अभियुक्ता मु 0 20,000/–रूपये की दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थिनी/अभियुक्ता नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित हो।
3. साक्षी आने पर जिरह न करना जमानत का दुरूपयोग माना जायेगा।
4. प्रार्थिनी/अभियुक्ता बिना युक्ति–युक्त कारण के गैर हाजिर होने, गैर जमानतीय अधिपत्र जारी होने पर पी0बी0 स्वंय जप्त हो जायेगा।
5. प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा इस आशय की अण्डर टेकिंग दाखिल किया जाय कि वह जमानत होने पर 30 दिन के अन्दर शमन शुल्क व असेसमेंट शुल्क विभाग में जमा कर रसीद न्यायालय में दाखिल करेंगा।

विशेष न्यायाधीश /अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1,भदोही।

दिनांक 12.10.2022